

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

वनाम

श्री. मोमाम

हलका मुक. वगानसिंह

पुत्र श्री. धूडा राम जाति सुनार

निवासी मुक. वगानसिंह

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 70/वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका मुक. वगानसिंह ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2079 में मौजा मुक. वगानसिंह के खसरा नंबर 27/3 रकबा 1200 क.फी. किस्म मूमि. 1/1 पर नाजायज अतिक्रमण कर कारत व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलव किया जावे। पत्रावली दिनांक 11-01-2021 को वमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
11-01-2021	तहसीलदार सिणधरी जिला-वाड़मेर पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पीगलीन अधिकारी रातकीण कार्य हेतु जौधपुर पदारे से पत्रावली दिनांक 18-01-2021 को पेश हो।	मोमाम
18/01/2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल ने जवाब हेतु समय पाहा प्रो. दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27/01/2021 को पेश हो।	मोमाम

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

27-01-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सागल की तरफ से उनके ककील से उपस्थित होकर जवाब हेतु सागल चाहा उसे डिफा जाकर पत्रावली दिनांक 10-2-2021 को पेश है।

[Handwritten signature]

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

10-2-2021

पत्रावली पेश हुई। पीछलीन भुविकारी आदि इयुटी पर सियेला पचारे से पत्रावली दिनांक 17-2-2021 को पेश है। *[Signature]*
10-2-2021

17-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सागल अनुपस्थित। गैर सागल को जवाब हेतु मानिम भवत डिफा जाकर पत्रावली दिनांक 22-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

22-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सागल अनुपस्थित। गैर सागल को जवाब हेतु बार-बार भवसर दिने जाने के उपरांत भी कोई विधि सम्मत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किसे गैर सागल को अधिकारी मानते हुए पत्रावली फेलत सुकार है। निर्णय भवगत लिखा जाकर शीघ्र पत्रावली है। पत्रावली फेलत सुकार होकर डाखिल दफतर है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर